"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 233] रायपुर, सोमवार, दिनांक 25 सितम्बर 2006—आश्विन 3, शक 1928

वित्त तथा योजना विभाग
[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/84/2006/वाक/(आब.) पांच (71).—छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, विधु विनोद चोपड़ा, मुम्बई द्वारा निर्मित हिन्दी फिल्म "**लगे रहो मुन्ना भाई**" के राज्य में प्रदर्शन को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) की प्रभावशीलता से प्रदेश के छविगृहों में 6 माह (छः माह) की अवधि के लिए इस शर्त के साथ छूट प्रदान करता है कि, छविगृह स्वामी द्वारा प्रदर्शन दिनांक से पूर्व प्रचलित प्रवेश दर को उस सीमा तक ही कम किया जायेगा, जितनी की छूट प्रदान की गई है.

2. यह छूट छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2006

क्रमांक एफ-10/84/2006/वाक/(आब.) पांच (71).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/84/2006/वाक/(आब.) पांच (71), दिनांक 25-9-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 25th September 2006

NOTIFICATION

No. F-10/84/2006/CT (Ex.)/V(71).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Chhattisgarh Entertainments Duty and Advertisement Tax Act, 1936 (No. 30 of 1936), the State Government hereby exempts the exhibition of the Hindi film "LAGE RAHO MUNNA BHAI" Produced by Vidhu Vinod Chopara, Mumbai in the Cinema halls of the State of Chhattisgarh from operation of sub-section (1) of the Section 3 of said Act for a period of 6 months (six months), subject to condition that the rate of admission prevailing prior to the date of exhibition shall be reduced by the proprietor of the cinema to the extent of the exemption granted.

2. This exemption will be effective from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Rajpatra.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
K. R. MISHRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.